न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री रोहिताश्व सिंह तोमर (आई०ए०एस)

प्रकरण संख्या 22/2024

बउनवान

1. बजरंगलाल पुत्र माधोलाल जाति माली
2. रामबिलास पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम मूण्डिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०) अपीलांट्स

बनाम

1. रामकन्या पत्नि हेमराज जाति मेहर निवासी खानपुरिया तहसील मांगरोल जिला बारां (राज०)
2. हेमराज पुत्र बजरंगलाल जाति कीर निवासीगण ग्राम मूण्डिया
3. जगदीश पुत्र बजरंगलाल जाति कीर तहसील मांगरोल जिला
4. बाबूलाल पुत्र बजरंगलाल जाति कीर बारां (राज०)
5. पप्पू लाल पुत्र गोपीलाल जाति कुम्हार
6. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज०)

रेस्पोडेन्ट्स

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 16.07.2024 न्याया. तहसीलदार, मांगरोल

उपस्थिति :– 1. श्री कमलदीप सिंह हाड़ा अभिभाषक (अपीलांट्स)
2. श्री मदनलाल गालव अभिभाषक (रेस्पो0 कम 1)
3. श्री संजय यादव अभिभाषक (रेस्पो0 कम 2 ता 5)

निर्णय दिनांक 23/12/24

अपीलान्ट्स की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि निर्णय व आदेश दिनांक 16.07.2024 विधि, न्याय एवं संचयिका में सिद्धि प्राप्त तथ्यों के सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैध है। प्रार्थीया रामकन्या ने खाता संख्या 91 ग्राम मूण्डिया तहसील मांगरोल जिला बारां में दर्ज आराजी खसरा नं. 238/479 रकबा 2.40 है० बाबत् पेश करके अधीनस्थ न्यायालय से निवेदन किया था कि सम्पूर्ण रकबा 2.40 है० पर अपीलान्ट कम 1 व रघुवीर सुमन का मौके पर कब्जा नही पाया या और उसके विरूद्ध निर्णय भी पारित नही किया गया है। गौर तलब है कि प्रार्थीया जिनका अवैध कब्जा विवादित आराजी पर नही बता रही है, उनके विरूद्ध भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय दिनांक 16.07.2024 पारित कर दिया, जबकि रेस्पोडेन्ट कम 2, 3, 4, 5 के विरूद्ध प्रार्थीया ने कोई रिलीफ नही चाही थी, इस प्रकार के निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय मे किसी भी अधिवक्ता ने पैरवी नहीं की है प्रार्थना–पत्र भी अधिवक्ता के द्वारा पेश नही किया गया है, रामकन्या बाई को किसी भी व्यक्ति ने पहचान नही किया है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश पारित कर दिया, सबसे बड़ी बात है कि प्रथम आदेश पत्रावली पर प्रार्थीया के बयान भी पत्रावली में लेखबद्ध नही किये गये इस प्रकार के निर्णय पर दृष्टया खारिज किये जाने योग्य है। दिनांक 05.06.2024 को प्रथम आदेश शीट पत्रावली में लिखी गई, और रिपोर्ट हल्का पटवारी महलपुर से विवादित आराजी की मंगवाई गई, उक्त रिपोर्ट में सम्पूर्ण रकवे 2.40 है०

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 10:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

यह अपीलान्ट्स और रेस्पोडेन्ट कम 2 ता 5 का कब्जा बताया गया है, लेकिन हल्का पटवारी ने यह नहीं बताया कि किस व्यक्ति ने कितना अवैध कब्जा कर रखा है, अर्थात् प्रार्थीया ने आज तक खसरा नं. 238/479 रकबा 2.40 है० को काश्त नही किया है, अपने प्रार्थना–पत्र में यह कथन भी नहीं किया है कि उसका कब्जा कब से कब रहा रेस्पोडेन्ट्स ने प्रार्थीया को कब बेदखल कर दिया है। जब प्रार्थीया का कब्जा प्रारम्भ से ही नही है तो इस प्रकार के प्रार्थना–पत्र मेन्टेनेबल नही है और निर्णय प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है। दूसरी पेशी दिनांक 19.06.2024 को सभी अप्रार्थीगण तलब करने पर न्यायालय मे उपस्थित हुए और उनके हस्ताक्षर करवाये गयं तथा अप्रार्थीगण/रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने जवाब व वकालत नामा पेश करने वास्ते समय चाहा, उक्त कारण से दिनांक 05.07.2024 तारीख पेशी नियत की गई। दिनांक 05.07.2024 को अपीलान्ट्स के अधिवक्ता व अपीलान्ट्स व रेस्पोडेन्ट्स कम 2 ता 5 तहसीलदार महोदय मांगरोल से मिले और कहा कि आज पेशी है, वकालतनामा और जवाब प्रार्थना–पत्र पेश करना है तो तहसीलदार साहब ने फरमाया कि मेरे राजस्व बाबू श्री बालकिशन का एक्सीडेन्ट हो जाने से उसके हाथ में फ्रेक्चर हो गया है, वह जब आयेगा तब आप आ जाना, अपीलान्ट्स पी.ओ. साहब की बात मानकर चले गये, अपीलान्ट्स को कोई पेशी नही दी गई। दिनांक 16.07.2024 को राजस्व बाबू बालकिशन की अनुपस्थिति में निर्णय पारित कर दिया जबकि प्रार्थीया भी न्यायालय में उपस्थित नही थी, प्रार्थीया का कोई वकील तो पहले से ही नही है। ऐसी स्थिति में पारित निर्णय विधि विरूद्ध और प्राकृतिक कानून के खिलाफ होने से अवैध व त्रुटिपूर्ण है। विवादित आराजी का आवंटन मृतक खातेदार गोपाल जी के हुआ था. उनकी मृत्यु के बाद उसकी पुत्री अमरी के नाम गैरखातेदारी दर्ज हो गई, और खातेदारी मिलने पर अमरी ने रेस्पोडेन्ट्स कम 1 रामकन्या बाई को रजिस्टर्ड बैचान कर दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि विवादित आराजी पर मूल आवंटी गोपाल का भी कब्जा नही रहा, उसकी पुत्री अमरी का भी कब्जा भी रहा और खरीददार रेस्पोडेन्ट्स कम 1 का भी कब्जा नही है। एक बहुत बड़ा भू–माफिया पर्दे के पीछे बैठकर यह गैर खातेदारी, खातेदारी, वैचान का खेल खेल रहा है। भू–माफिया सामान्य वर्ग का होने से रामकन्या बाई के नाम आराजी खरीद ली, जबकि विक्रेता अमरी व केता रामकन्या बाई का कभी कब्जा ही नही रहा। भू–माफिया ही राजस्व कर्मचारियों से मिलकर यह सब निर्णय पारित करवा रहा है, रामकन्या रेस्पोडेन्ट्स कम 1 को तो यह भी पता नहीं है कि कोई कार्यवाही कब्जा लेने वाली तहसीलदार मांगरोल के यहां जेरकार है, इस सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की जाकर उचित कानूनी कार्यवाही करते हुए आदेश व निर्णय दिनांक 16.07.2024 को निरस्त फरमाया जावे। जबकि विवादित आराजी से अपीलान्ट्स का कोई वास्ता नही है। अपीलान्ट्स अन्य आराजी को काश्त कर रहे है, उस पर से बेदखल करना चाहते हैं। न्यायालय के पी.ओ. साहब ने अपीलान्ट्स व अपीलान्ट्स के अधिवक्ता से झूठ बोलकर स्वार्थवश यह आदेश पारित किया है जो किसी प्रकार से स्थिर नही रखा जा सकता, हल्का पटवारी की रिपोर्ट कतई विश्वसनीय नहीं है। धारा 183 बी. आर.टी.एक्ट में उस व्यक्ति को कब्जा दिलाया जाता है, जिसका पूर्व में कब्जा हो और उसे बेदखल करके अन्य व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है, लेकिन इस प्रकरण में तो रामकन्या तो क्या मूल आवंटी गोपाल व उसकी पुत्री अमरी का भी कब्जा आराजी पर नही रहा है। ऐसी परिस्थिति में धारा 183 बी. आर.टी.एक्ट के विरूद्ध जो निर्णय पारित किया गया है खारिज फरमाया जावे। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व आदेश दिनांक 16.07.2024 निरस्त फरमाया जावे व अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश प्रदान किया जावे कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच की जाकर वास्तविक तथ्य का पता लगावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 10:59:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेंटगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 तथा रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 5 जर्ये पृथक पृथक अभिभाषकगण उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर हमने प्रकरण बहस हेतु नियत किया।

दौराने बहस अभिभाषकगण रेस्पोडेन्ट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनकर गुणावगुण के आधार पर प्रकरण का निस्तारण करने का विनिश्चिय किया। हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट की सुनी। दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व विधिक प्रकिया नहीं अपनाई। अपीलांट्स को सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान नही किया जबकि अपीलांट्स अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित रहे हैं। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण में प्रार्थिया से मुताबिक पटवारी रिपोर्ट संशोधित शीर्षक संलग्न करवाना चाहिये था। अतः अपील अपीलान्ट्स स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व आदेश दिनांक 16.07.2024 निरस्त फरमाया जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक अपीलांट्स ने विधिक दृष्टांत आर.आर.डी. 14.06.2014 पृष्ठ संख्या 404 का अवलोकन करवाया।

हमने एकपक्षीय बहस अभिभाषक अपीलांट्स पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली की आदेशिका पर अपीलांट क्रम 2 ता रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 5 के दिनांक 19.06.2024 को उपस्थिति के हस्ताक्षर अंकित हैं इसी तिथि को उपस्थित अप्रार्थीगण अपीलांट क्रम 2 ता रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 5 ने जवाब हेतु समय चाहा जो दिया जाकर दिनांक 05.07.2024 वास्ते जवाब नियत की गई। दिनांक 05.07.2024 को अप्रार्थीगण अपीलांट क्रम 2 ता रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 5 अनुपस्थित रहे तथा उनके द्वारा जवाब भी प्रस्तुत नहीं करवाया गया। इसलिये अभिभाषक अपीलांट्स का यह कथन नितांत असत्य है कि उन्हे सुनवाई एवं जवाबदेही का अवसर प्रदान नहीं किया गया। अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील में अंकित किया है कि रेस्पोडेन्ट कम 2, 3, 4, 5 के विरूद्ध प्रार्थीया ने कोई रिलीफ नही चाही थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विरूद्ध निर्णय पारित कर दिया। यह सही है कि प्रार्थिया/रेस्पोडेन्ट क्रम 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 5 का नाम अंकित नहीं किया था परन्तु मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का महलपुर दिनांक 20.05.2024 प्रार्थिया/रेस्पोडेन्ट क्रम 1 के खाते की आराजी पर अपीलांट्स एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ता 5 का कब्जा पाया गया। इसीलिये अधीनस्थ न्यायालय ने उनके विरूद्ध भी आदेश पारित किया। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट्स सारहीन होना पाई जाती है।

अतः अपील अपीलांट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय हमारे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 23/12/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2025.02.06 10:59:41 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर, बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)